न्यायालय श्रीमान् अध्यक्ष महोदय, राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल

प्रकरण क्रमांक /2015 रिव्यू 2116-PBR-15

केशव कुमार आ. श्री गेंदालाल आयु वयस्क,
कृषक ग्राम अल्हादाखेड़ी निवासी राठौर मोहल्ला,
गंज, सीहोर तहसील व जिला सीहोर म0प्र0 पुनर्विलोकनार्थी अपीलार्थी

विरुद्ध

01 फूल सिंह आ. श्री देवा जी आयु वयस्क,
02. गुट्टूलाल आ. श्री देवा जी आयु वयस्क,
03. हरिप्रसाद आ. श्री देवा जी आयु वयस्क
सभी निवासी ग्राम अल्हादाखेड़ी तहसील
व जिला सीहोर म0प्र0 .....रेस्पार्डेटगण

(अन्तर्गत धारा-51 म0प्र0भू0रा0सं0 1959)

आवेदन पत्र पुर्नविलोकन आदेश दिनांक 28/05/2015 प्रकरण कमांक 1275/पी.बी.आर./15 पारित द्वारा श्रीमान् अध्यक्ष राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प भोपाल म0प्र0

श्री नरेन्द्र ठाकुर अभिभाषक
ने आज दिनांक 1-7-15
को भोपाल कैम्प पर प्रस्तुत।
1-7-15

आहुत किये जाने वाले प्रकरण

01. 115/अपील/13-14 पारित द्वारा न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय भोपाल संभाग भोपाल आदेश दिनांक 29/01/2015
02. प्रकरण कमांक 115/अपील/11-12 फूल सिंह आदि विरुद्ध केशव कुमार न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय, सीहोर आदेश दिनांक 27/03/2014
03. संशोधन पंजी कमांक 13 ग्राम अल्हादाखेड़ी प्रविष्ठी कमांक 15/07/1990 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक मंडल 04 तहसील सीहोर दिनांक 30/10/1990

4-7-15

श्रीमान् जी,

पुर्नविलोकन/आवेदक निम्न तथ्यों एवं विधिक आधारों पर पुर्नविलोकन

याचिका प्रस्तुत करता हैः-

प्रकरण के तथ्य

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक रिव्यू 2116–पीबीआर/15 जिला सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31–7–2015	आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा रिव्यु ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । इस न्यायालय के आदेश दिनांक 28–5–2015 का अवलोकन किया गया। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– (1) किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या (2) मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या (3) कोई अन्य पर्याप्त कारण 2/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्को में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे । उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है । आवेदक के अधिवक्ता के द्वारा तर्क के दौरान सर्वे क्रमांक 7/1/1–क के पटटे संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है जबकि सर्वे क्रमांक 7/1/1–ख शासकीय भूमि है और उसके व्यवस्थापन के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है । अतः इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–5–15 के पुनर्विलोकन का प्रथमदृष्टया आधार उपलब्ध नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है। (मनोज गोयल) अध्यक्ष	